मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण झाँसी

MACP No. 276 of 2018

पंजीकरण दिनाँक:	निर्णय दिनाँक:	अवधि:
07/18/18	07/26/21	3 वर्ष, 0 माह, 8 दिन

पीठासीनः **श्री चंद्रोदय कुमार, एच. जे. एस.**

1. श्रीमती सविता देवी पत्नी स्व. सुरेन्द्र पुत्री रघुराज, आयु- 22 वर्ष
2. नवल किशोर पुत्र स्व. धनीराम, आयु- 45 वर्ष
3. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री नवल किशोर, आयु- 42 वर्ष निवासीगण- ग्राम सिकन्दरा, थाना- पूंछ, जिला- झाँसी
4. गगन पुत्र स्व. सुरेन्द्र कुमार, आयु- 4 वर्ष, नाबालिग जरिये संरक्षिका श्रीमती सविता देवी, निवासी- ग्राम सिकन्दरा, थाना- पूंछ, जिला- झाँसी

- - - - - - - - - - - - **याचीगण**

प्रति

1. **रविन्द्र कुमार** पुत्र श्री ओंमकार, निवासी- ग्राम जरगुंवा अव्वल, जिला- शिवपुरी, म.प्र. (वाहन स्वामी मोटर साइकिल अपाचे संख्या- MP33MQ8898)
2. **शिवम** पुत्र कैलाश नारायन, निवासी- ग्राम बसारी, थाना- टहरौली, जिला- झाँसी (वाहन स्वामी मोटर साइकिल टी. वी. एस. विक्टर मोटर साइकिल संख्या- UP93BC9177)
3. **ICICI लोमबार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि**., जरिये मण्डलीय प्रबन्धक कचहरी चौराहा, झाँसी (बीमाकर्ता मोटर साइकिल संख्या- UP93BC9177)
4. **राजू बंशकार** पुत्र चंदीलाल, निवासी- ग्राम भगवन्तपुरा, थाना- सदर बाजार, झाँसी (चालक मोटर साइकिल अपाचे संख्या- MP33MQ8898)
5. **रानी बंशकार** पुत्री कन्हईलाल, निवासी- नंदवारा, सिलपुरा, सनियाथाना, जिला- शिवपुरी (वाहन स्वामी मोटर साइकिल संख्या- - MP33MQ8898)
6. **ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी** जरिये मण्डलीय प्रबन्धक, सीता होटल के पीछे, झाँसी (बीमाकर्ता मोटर साइकिल संख्या- MP33MQ8898)

- - - - - - - - - - - - **विपक्षीगण**

याचीगण के अधिवक्ता- **श्री संजय सिंह यादव**
विपक्षी संख्या- 1, 4 एवं 5 के अधिवक्ता- **श्री राजीव शर्मा**
विपक्षी संख्या- 2 के अधिवक्ता- **श्री लल्लन सिंह यादव**
विपक्षी संख्या- 3 के अधिवक्ता- **श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव**
विपक्षी संख्या- 6 के अधिवक्ता- **श्री आर. पी. वाजपेयी**

निर्णय

याचीगण की ओर से यह याचिका विपक्षीगण के विरुद्ध पृथक-पृथक एवं संयुक्त रुप से धारा- 166 एवं 140 मो. वा. अधिनियम के अर्न्तगत मोटर वाहन दुर्घटना में याची संख्या 1 के पति, याची संख्या 2 व 3 के पुत्र व याची संख्या 4 के पिता सुरेन्द्र कुमार की मृत्यु पर ₹40,50,000 प्रतिकर एवं उस पर 18% वार्षिक दर से ब्याज तथा धारा- 140 एम. वी. एक्ट के अर्न्तगत ₹50,000 अन्तरिम राहत तत्काल दिलाये जाने हेतु योजित की गयी है।

2. संक्षेप मे याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनाँक 20.06.2018 को याची संख्या- एक के पति सुरेन्द्र कुमार अपनी मौसी के लडके शिवम की मोटर साइकिल संख्या- UP93BC9177 लेकर अपने चचेरे भाई अजय के साथ पुनावली थाना- रक्सा शादी में जा रहे थे और जब वे कोटखेरा गॉव के पास पहुँचे तभी समय करीब 11.00 बजे रात अपनी मोटर साइकिल साइड में खड़ी करके पानी पीने लगे, तभी सामने पुनावली की ओर से आ रही मोटर साइकिल अपाचे संख्या- MP07TC0124 स्थाई पंजीकरण संख्या- MP33MQ8898 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर उल्टे हाथ पर आकर याची के पति सुरेन्द्र व अजय में जोरदार टक्कर मार दी तथा इसके बाद उसी चालक ने पीछे आ रहे मोहित को भी टक्कर मार दी जिससे वह भी घायल हो गये। मौके पर उमेश राजपूत व मनोज आ गये तथा पुलिस आ गयी एवं घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कालेज भिजवाया गया जहां चिकित्सक ने सुरेन्द्र कुमार को मृत घोषित कर दिया। उक्त सड़क दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के भाई रवि ने थाना- रक्सा मे मोटर साइकिल संख्या- MP07TC0124 के चालक के विरुद्ध अ. सं.- 77/18 धारा- 279, 337, 338, 304A IPC के अर्न्तगत दर्ज कराई। घटना के समय सुरेन्द्र कुमार 26 वर्षीय B.Sc. तक पढ़े, हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति थे तथा बच्चों को ट्यूशन तथा प्राइवेट संस्था में पढ़ाते थे जिससे उसे दस हजार रुपये मासिक वेतन मिलता था इसके अतिरिक्त बीस बीघा खेती सिंचित भूमि जिसे वह अपने पिता के सहयोग से घर के ट्रेक्टर से खेती करके लगभग तीन लाख रुपये सालाना आय अर्जित करते थे। कथित घटना में आयी गम्भीर चोटों के कारण हुई असमायिक मृत्यु के कारण याचीगण का पूरा परिवार मानसिक, शारीरिक कष्ट सह रहा है तथा याचिया संख्या- एक अपने विवाह के एक वर्ष बाद ही विधवा हो गयी और वह अपने पति के प्यार व दाम्पत्य जीवन से हमेशा के लिए वंचित हो गयी है। उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर याचीगण ने विपक्षीगण से ₹40,50,000 प्रतिकर एवं उस पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं ₹50,000 तत्काल दिलाये जाने की याचना की है।

3. विपक्षी संख्या- एक की ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.10 20:21:19 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

4. विपक्षी संख्या- दो शिवम की ओर से जवाबदावा 22B दाखिल कर याचिका में वर्णित अभिकथनों को परोक्ष रुप से स्वीकार करते हुये कथन किया गया है कि कथित सडक दुर्घटना समय उसकी मोटर साइकिल टी. वी. एस. विक्टर खडी थी और उक्त घटना में उसका कोई योगदान नहीं है। कथित घटना के समय उसकी मोटर साइकिल विपक्षी संख्या- तीन आई. सी. आई. सी. आई. लोमबार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी में विधिवत रुप से बीमित थी, जिसे मृतक कथित घटना के पूर्व विपक्षी से मांग कर ले गया था।

5. विपक्षी संख्या- तीन आई. सी. आई. सी. आई. लोमबार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी की ओर से जवाबदावा 26B दाखिल कर याचिका में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथन में कहा गया है कि प्रश्नगत वाहन मोटर साइकिल संख्या- UP93BC9177 के स्वामी ने विपक्षी को कथित घटना की कोई सूचना नहीं दी है न ही उक्त वाहन के कागजात ही सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये हैं। विपक्षी बीमा कम्पनी को सम्बन्धित थाने द्वारा भी कोई सूचना नहीं दी गयी है। याचीगण ने अधिक प्रतिकर पाने के आशय से मृतक की आयु कम तथा आय अधिक दर्शित की है। स्वंय याचीगण के अनुसार कथित घटना मोटर साइकिल संख्या- MP33MQ8898 अपाचे के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण घटित हुई, ऐसी स्थिति में याचीगण विपक्षी संख्या- तीन बीमा कम्पनी से कोई प्रतिकर पाने के हकदार नहीं हैं।

6. विपक्षीगण संख्या- चार एवं पांच क्रमश: राजू वंशकार एवं रानी वंशकार की ओर से जवाबदावा 28B दाखिल कर याचिका में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुये अपने अतिरिक्त कथन में कहा है कि याचीगण ने वर्तमान याचिका गलत तथ्यों के आधार पर मनगढ़ंत कहानी बनाते हुये प्रस्तुत की है। सही बात यह है कि कथित घटना के दिनाँक को मोटर साइकिल संख्या- UP93BC9177 पर तीन व्यक्ति बैठे हुये थे तथा उसे चालक बडी तेजी व लापरवाही से चलाते हुये आया और विपक्षीगण की उक्त मोटर साइकिल अपाचे संख्या- MP33MQ8898 में गलत साइड में आकर जोरदार टक्कर मार दी जिससे विपक्षीगण घायल हो गये थे, कथित घटना में विपक्षीगण की कोई तेजी व लापरवाही नहीं रही है। कथित घटना के समय प्रश्नगत मोटर साइकिल संख्या- MP33MQ8898 विपक्षी संख्या- छः ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी में विधिवत रुप से बीमित थी तथा उसके समस्त कागजात वैध एवं प्रभावी थे एवं उसके चालक के पास वैध लाइसेंस था।

7. विपक्षी संख्या- छः ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी की ओर से जवाबदावा 20B दाखिल कर याचिका में अंकित तथ्यों से इंकार करते हुये अतिरिक्त कथन में कहा गया है कि याचीगण ने झूठे तथ्यों के आधार पर याचिका योजित की है। याचीगण ने मात्र अधिक प्रतिकर पाने के आशय से मृतक की आयु कम तथा आय अधिक दर्शित की है। याचीगण ने कथित घटना की सूचना विपक्षी को नहीं दी है न ही उसके कागजात सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये हैं। कथित घटना के समय प्रश्नगत मोटर साइकिल के चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था। याचीगण ने प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र, नक्शा नजरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि प्रपत्र दाखिल नहीं किये हैं।

8. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद विन्दु विरचित किये गये-

1. क्या दिनाँक 20.06.2018 को समय करीब 11.00 बजे रात जब मृतक सुरेन्द्र कुमार अपनी मौसी के लडके शिवम की मोटर साइकिल संख्या- UP93BC9177 को लेकर अपने चचेरे भाई अजय के साथ पुनावली शादी में जा रहा था तब कोटखेरा गॉव के पास उक्त मोटर साइकिल को साइड में खडी करके पानी पी रहा था, तभी सामने पुनावली की ओर से आ रही मोटर साइकिल अपाचे संख्या- MP07TC0124 के चालक ने मोटर साइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये सुरेन्द्र व अजय में जोरदार टक्कर मार दी जिससे सुरेन्द्र व अजय को गम्भीर चोटें आयीं और उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के फलस्वरुप मेडिकल कालेज में सुरेन्द्र की मृत्यु हो गयी ?

2. क्या दुर्घटना की दिनाँक व समय पर प्रश्नगत मोटर साइकिल अपाचे संख्या- MP07TC0124 के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था ?

3. क्या दुर्घटना की दिनाँक व समय पर मोटर साइकिल अपाचे संख्या- MP07TC0124 विपक्षी संख्या- छः ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी से बीमित थी ?

4. क्या प्रश्नगत दुर्घटना दोनो मोटर साइकिल चालकों की योगदायी उपेक्षा के कारण घटित हुई ?

5. क्या याचीगण कोई प्रतिकर राशि पाने के अधिकारी हैं ? यदि हाँ, तो कितनी व किस विपक्षी से ?

9. <u>याचीगण की ओर से प्रस्तुत प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य</u>

याचीगण की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में सूची- 7C से प्रथम सूचना रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, मोटर साइकिल संख्या- UP93BC9177 का पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी, आधार कार्ड सविता देवी व नवल किशोर की छाया प्रतियाँ; सूची- 21C से विपक्षी राजू बंशकार की जमानत के आदेश, वाहन अवमुक्ति आदेश, वाहन अवमुक्ति हेतु विपक्षी रानी बंशकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र की सत्यापित प्रतियाँ तथा बीमा पॉलिसी अपाचे, पंजीकरण प्रमाण पत्र अपाचे मोटर साइकिल की छाया प्रतियाँ, मृतक सुरेन्द्र की हाई स्कूल परीक्षा की अंक तालिका की छाया प्रति, सूची- 38C से नक्शा नजरी, आरोप-पत्र की सत्यापित प्रति एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की नोटरी अटेस्टेड प्रति दाखिल की गयीं तथा मौखिक साक्ष्य में PW- 1 नवल किशोर एवं PW- 2 मोहित को परीक्षित किया गया।

10. <u>विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य</u>

विपक्षी संख्या- दो शिवम की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में सूची- 25C से मोटर साइकिल संख्या- UP93BC9177 की बीमा पालिसी, पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयीं।

11. विपक्षी संख्या- चार एवं पाँच की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में सूची- 29C से प्रश्नगत मोटर साइकिल संख्या- MP07TC0124 नया स्थाई नम्बर- MP33MQ8898 के पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी एवं चालक अनुज्ञा पत्र राजू बंशकार की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयीं।

12. विपक्षी संख्या- छः ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में शपथ पत्र अन्वेषक श्री सोहन गुप्ता 37B के साथ अन्वेषण आख्या दाखिल की गयी। उक्त के अतिरिक्त किसी विपक्षी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

13. मैंने उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन एवं मूल्याँकन किया। टी वी एस अपाचे संख्या MP33MQ8898 की बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने इस तर्क पर अत्यधिक बल दिया है कि साक्षी PW- 2 मोहित मोटर साइकिल संख्या- UP93BC9177 को अपने मित्र शिवम से मांग कर लाया था और मृतक सुरेंद्र कुमार तथा अजय को बैठा कर अपने कामन फ्रेंड की शादी में पुनावली जा रहा था तभी मोहित द्वारा तेजी व लापरवाही से अपने वाहन को चलाए जाने के कारण आमने सामने यह टक्कर हुई है।

निष्कर्ष

14. **निस्तारण वाद विन्दु संख्या- एक एवं चार**

दोनो वाद विन्दु क्रमशः उपेक्षा एवं योगदायी उपेक्षा के संबंध में हैं अतः परस्पर सम्बन्धित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से दोनों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 8C/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई रवि कुमार द्वारा दिनाँक 23.06.18 को थाना- रक्सा में दर्ज करा दी गयी है, जिसमें कथित घटना के समय मृतक को सड़क किनारे खडे होकर पानी पीते समय अक्रामक वाहन मोटर साइकिल अपाचे के चालक द्वारा मोटर साइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर गलत साइड में आकर सुरेन्द्र व अजय को टक्कर मार दिये जाने से आयी गम्भीर चोटों के कारण सुरेन्द्र कुमार की मृत्यु होना कहा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में मात्र 2 दिन का विलंब है जो मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में दुर्घटना के होने या ना होने के संबंध में महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि योग दाई उपेक्षा के संबंध में यह विलब संज्ञान में लिए जाने की आवश्यकता है।

15. आरोप पत्र टी वी एस अपाचे संख्या MP33MQ8898 के चालक राजू बंशकार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 व 304 ए के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

16. याचीगण की ओर से PW- 1 नवल किशोर जो मृतक सुरेन्द्र कुमार का पिता है को परीक्षित किया गया है जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में याचिका में वर्णित दुर्घटना के तथ्यों का पूर्ण समर्थन किया है तथा दुर्घटना में अपने पुत्र को आयी गम्भीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु होना बताया है। यह साक्षी दुर्घटना का चक्षुदर्शी नही है। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिसके आधार पर इस साक्षी की साक्ष्य को दुर्घटना मे इस साक्षी के पुत्र की मृत्यु हो जाने के संदर्भ मे अविश्वसनीय माना जाए।

17. साक्षी PW- 2 मोहित जिसे दुर्घटना का चक्षुदर्शी बताया गया है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में याचिका में वर्णित घटना के तथ्यों का समर्थन करते हुये कहा है कि घटना दिनाँक 20.06.18 की है। सुरेन्द्र मोटर साइकिल टी. वी. एस. विक्टर संख्या- UP93BC9177 से अजय के साथ ग्राम कोटखेरा में रात करीब 11.00 बजे अपनी मोटर साइकिल बांये हाथ पर सड़क किनारे खडी करके पानी पी रहा था तभी सामने पुनावली की ओर से टी. वी. एस. अपाचे नम्बर MP33MQ8898 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर गलत साइड में आकर खड़े हुये सुरेन्द्र, अजय में जोरदार टक्कर मार दी। वह पीछे से आ रहा था। उपरोक्त मोटर साइकिल के चालक ने आकर उसे भी टक्कर मार दी जिससे वह, सुरेन्द्र व अजय गम्भीर रुप से घायल हो गये थे। मौके पर 100 नम्बर पुलिस आ गयी थी। एम्बुलैन्स में उन्हें मेडिकल कालेज भिजवाया गया था जहां पर डाक्टर ने सुरेन्द्र को मृत घोषित कर दिया था। इस साक्षी ने घटना मात्र मोटर साइकिल अपाचे के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण घटित होना बताया है। इस साक्षी से विपक्षीगण की ओर से विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि टक्कर मारते समय मोटरसाइकिल पर MP07TC0124 लिखा जो उसका अस्थाई नंबर था। यह नंबर उसने देख लिया था। एफ आई आर उसने नहीं लिखवाई थी। मृतक के भाई रवि ने घटना के दो-तीन दिन बाद लिखाई थी। उसने घटना के बारे में मृतक के भाई को बता दिया था कि घटना कैसे घटी। घटना रात के 11:00 बजे की है, वहां लाइट जल रही थी और सामने वाली मोटरसाइकिल की लाइट भी जल रही थी। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह भी पुनावली शादी में जा रहा था। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि शिवम अजय व मृतक सुरेंद्र उसके मित्र हैं। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में इस सुझाव से इनकार किया है कि वे तीनों लोग मोटरसाइकिल नंबर UP93BC9177 पर बैठे थे और वह ही मोटरसाइकिल चला रहा था। इस साक्षी ने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि उसकी तेजी व लापरवाही वह गलती के कारण दुर्घटना घटी हो और तीनों आपस में मित्र होने के कारण उन को लाभ पहुंचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा है।

18. दुर्घटना स्थल के नक्शा नजरी निम्न प्रकार है-

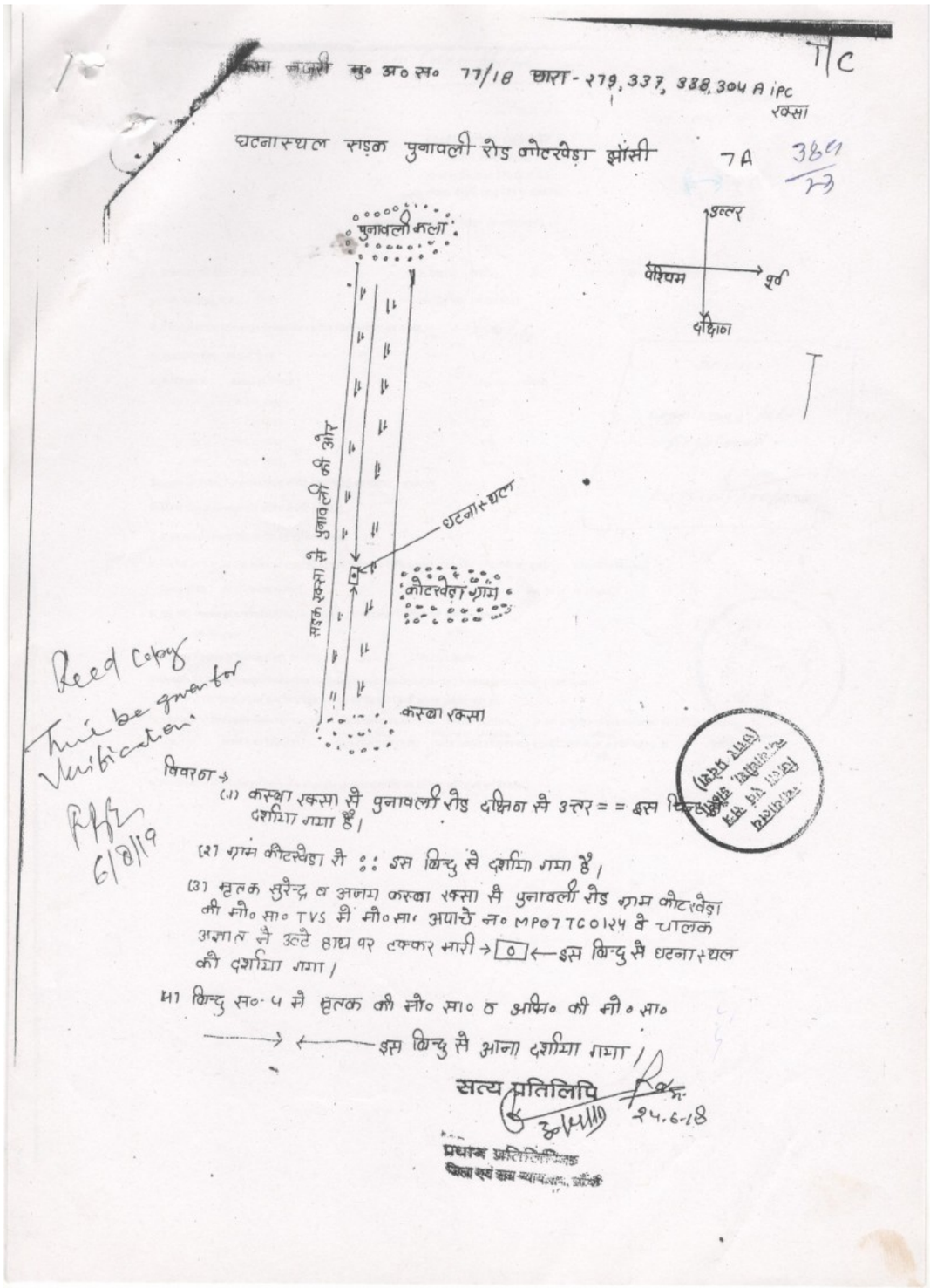

उक्त नक्शा नजरी के अनुसार दुर्घटना आमने-सामने हुई है। टी वी एस अपाचे संख्या- MP33MQ8898 के चालक ने थोड़ा सा अपने दाहिने जाकर टक्कर मारी है। मोटरसाइकिल संख्या UP93BC9177 का चालक भी यदि उपेक्षित न होता तो यह दुर्घटना टल जाती।

19. टी वी एस अपाचे संख्या- MP33MQ8898 की बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटना का अन्वेषण करवाया गया है जिसके अन्वेषक सोहन गुप्ता है। इस अन्वेषण की आख्या शपथ पत्र से समर्थित कर पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है। अन्वेषण के दौरान इस दुर्घटना मे घायल अजय कुमार ने अपनी लिखित तहरीर में यह कथन किया है की मोटरसाइकिल नंबर UP93BC9177 को मोहित चला रहे थे तथा वह व सुरेंद्र कुमार पीछे बैठे थे। वाहन संख्या UP93BC9177 के वाहन स्वामी ने भी अन्वेषक को तहरीर किया है कि मोहित उनकी मोटरसाइकिल मांग कर ले गए थे। मृतक के माता-पिता तथा पत्नी ने भी यही तथ्य अन्वेषक को तहरीर किए हैं। रेस इप्सा लाक्यूटर के अनुसार दुर्घटना ठीक उस प्रकार से होना स्वाभाविक प्रतीत नही होती जैसी याचिका मे कथित है। नक्शा नजरी तथा बीमा कम्पनी की अन्वेषण आख्या लगभग आमने सामने की दुर्घटना दर्शाते हैं। चक्षुदर्शी मोहित का घायल होना इस बात को इंगित करता है कि वह मोटरसाइकिल संख्या UP93BC9177 को चला रहा था। बीमा कं. के अन्वेषक को चक्षुदर्शी मोहित द्वारा दिए गए लिखित बयान मे भी यह बात स्वीकार की गई है। मोहित का डी. एल. पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है।

20. बहस के दौरान इस स्तर पर याची पक्ष एवं दोनों वाहनों के बीमा कंपनी ने मोटरसाइकिल संख्या के चालक की 20% योगदाई उपेक्षा की कटौती व वाहन संख्या- UP93BC9177 के वाहन स्वामी के विरुद्ध दावे के परित्याग के सौदा दलील पर सहमत हैं।

21. इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट, टीवीएस अपाचे संख्या- MP33MQ8898 के चालक राजू बंशकार के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र, दुर्घटना स्थल की नक्शा नजरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, PW- 2 के साक्ष्य, बीमा कंपनी की अन्वेषण आख्या तथा याची पक्ष की स्वीकारोक्ति के आधार पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि दिनाँक 20.06.2018 को समय करीब 11.00 बजे रात जब मृतक सुरेन्द्र कुमार अपनी मौसी के लडके शिवम की मोटर साइकिल संख्या- UP93BC9177 पर पीछे बैठकर पुनावली शादी में जा रहा था तब कोटखेरा गॉव के पास उक्त मोटर साइकिल की मोटरसाइकिल संख्या- **MP33MQ8898** टक्कर हो जाने के कारण सुरेन्द्र को गम्भीर चोटें आयीं और उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के फलस्वरुप मेडिकल कालेज में सुरेन्द्र की मृत्यु हो गयी। यह दुर्घटना मोटरसाइकिल संख्या- **UP93BC9177** के चालक की **20%** लापरवाही तथा मोटरसाइकिल संख्या- **MP33MQ8898** के चालक राजू बंशकार की **80%** लापरवाही के कारण घटित हुई है। तदनुसार दोनों वाद बिंदु निर्णीत किए जाते हैं।

22. **<u>निस्तारण वाद विन्दु संख्या- दो</u>**

पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत वाहन अपाचे संख्या- **MP33MQ8898** के चालक राजू बंशकार के चालक अनुज्ञा पत्र की छाया प्रति 32C/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अनुज्ञा पत्र दिनाँक 2.9.2004 को निर्गत किया गया है तथा दिनाँक 11.04.2028 तक नॉन ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने हेतु व दिनाँक 23.11.2019 तक ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी है। उक्त के संबंध में विपक्षीगण की ओर से कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अत: यह साबित है कि दुर्घटना की दिनाँक व समय वाहन अपाचे के चालक राजू बंशकार के पास वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र था। तदनुसार वाद विन्दु संख्या- दो सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

23. **<u>निस्तारण वाद विन्दु संख्या- तीन</u>**

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र 23C/1-2 के अनुसार प्रश्नगत वाहन मोटर साइकिल अपाचे संख्या- **MP33MQ8898 (Chasis No. MD634BE43J2C12790 Engine No. BE4CJ2412834)** की बीमा पॉलिसी की छाया प्रति 31C/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि **ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी** की उक्त बीमा पॉलिसी दिनाँक 28.04.2018 से 27.04.2018 तक वैध है। उक्त के संबंध में विपक्षीगण की ओर से कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अत: यह साबित है कि दुर्घटना की दिनाँक 20.06.2018 को वाहन अपाचे विपक्षी संख्या- छः **ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी** में विधिवत रूप से बीमित थी। तदनुसार वाद विन्दु संख्या- तीन सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

24. **<u>निस्तारण वाद विन्दु संख्या- पाँच</u>**

यह वाद विन्दु प्रतिकर निर्धारण से सम्बन्धित है। चूँकि वाद विन्दु संख्या- दो एवं तीन सकारात्मक रुप से तथा वाद विन्दु संख्या- एक एवं चार क्रमशः 80% उपेक्षा एवं 20% योगदायी उपेक्षा व विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध दावे के परित्याग पर निर्णीत किये गये हैं। अत: प्रस्तुत प्रकरण में क्षतिपूर्ति की अदायगी का दायित्व विपक्षी संख्या- छः **ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी** पर है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि याचीगण विपक्षी संख्या- छः से कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। याचिका में याचीगण ने कथित घटना के समय मृतक सुरेन्द्र कुमार को बी. एससी. (बायो) से उत्तीर्ण होना बताते हुये, उसके द्वारा घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर तथा प्राईवेट संस्था में पढ़ाकर व अपने पिता के साथ स्वंय के ट्रेक्टर से अपनी खेती करके प्रतिमाह लगभग ₹10,000 आय अर्जित करना बताया है। उक्त के सम्बन्ध में स्वंय मृतक के पिता नवल किशोर PW- 1 ने अपनी साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसका पुत्र 15 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था उसका लेखा जोखा नहीं है न ही उसने पेश किया है। उसने पुत्र की शिक्षा सम्बन्धी कागजात पेश नहीं किये हैं, उसकी भी कोई जमीन नहीं है। याचीगण की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में मृतक के केवल हाई स्कूल परीक्षा की अंक-तालिका ही प्रस्तुत की गयी है, अन्य कोई प्रलेख उसकी आय के सम्बन्ध में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में याचिका में वर्णित यह कथन कि कथित दुर्घटना के समय मृतक बी. एससी. (बायोकेमिस्ट्री) किये था तथा बच्चों को ट्यूशन पढाकर, प्राइवेट संस्था में पढाकर तथा स्वंय की खेती करके ₹10,000 मासिक आय अर्जित कर लेता था, स्वीकार योग्य नहीं है। विधि व्यवस्था **<u>लक्ष्मी देवी एवं अन्य बनाम मोहम्मद तब्बर एवं अन्य (25.3.2008-SC):</u>MANU/SC/7368/2008** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व **₹100** प्रतिदिन की मजदूरी उचित मानी है।विधि व्यवस्था **<u>चन्द्रावती बनाम सुशील कुमार एवं अन्य (01.8.2018-ALLHC):</u> MANU/UP/2954/2018** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹200 प्रतिदिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत में असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिलता है। वास्तव में कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितियों पर आधारित होता है। माह में औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की सम्भावना रहती है। ऐसी स्थिति में याचीगण के पति व पुत्र एंव पिता सुरेन्द्र कुमार को कथित दुर्घटना के समय एक अकुशल मजदूर मानते हुये प्रतिकर निर्धारण हेतु कथित घटना के समय मृतक सुरेन्द्र कुमार की प्रतिदिन की कल्पित आय ₹180 निर्धारित की जाती है। याचिका में कथित घटना के समय मृतक की आयु 26 वर्ष दर्शित की गयी है। पत्रावली पर याची की ओर से मृतक की आयु को साबित करने के लिए उसकी हाई स्कूल परीक्षा की अंकतालिका की छाया प्रति दाखिल की गयी है जिसमें मृतक की जन्म तिथि 01.04.1992 अंकित है, जिसके आधार पर कथित घटना के समय मृतक की

आयु लगभग 26 वर्ष ही होती है। ऐसी स्थिति में प्रतिकर निर्धारण हेतु कथित घटना के समय मृतक सुरेन्द्र कुमार की आयु 26 वर्ष निर्धारित किया जाना न्यायोचित है।

25. विधि व्यवस्था **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य (31.10.2017- SC): MANU/SC/1366/2017** के अनुसार 26 से 30 वर्ष आयु वर्ग के लिए प्रतिकर निर्धारण हेतु 17 का गुणांक प्रयोज्य है तथा 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40% भविष्य की प्रत्याशा में वृद्धि, मृतक के आश्रितों की संख्या तीन से चार होने की दशा में उसकी आय से 1/4 भाग की कटौती तथा सहचर्य की क्षति के लिए ₹40,000 सम्पदा की क्षति के लिए ₹15,000 एवं दाह संस्कार के लिए ₹15,000 निर्धारित किये गये हैं।

26. उपरोक्तानुसार याचीगण को प्रदान की जाने वाली प्रतिकर की राशि की गणना निम्नवत है-

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	180	30	12	64800
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			40	25920
स्वयं पर खर्च (भाग में)			4	22680
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				68040
गुणक			17	1156680
वैवाहिक साहचर्य की क्षति			40000	1196680
संपदा की क्षति			15000	1211680
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	1226680
वाहन UP93BC9177की योगदाई उपेक्षा %	परित्याग		20	245336
वाहन MP33MQ8898 की उपेक्षा %			80	981344
कुल क्षतिपूर्ति				**981344**

27. इस प्रकार प्रतिकर की कुल धनराशि **₹9,81,344** आती है। उक्त के अतिरिक्त प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि पर विधि व्यवस्था **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. बनाम मन्नत जोहल एवं अन्य (23.4.2019-SC):MANU/SC/0589/2019** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिशा निर्देशों के आलोक में 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज याचिका योजित करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक याचीगण को दिलाया जाना तथा विधि व्यवस्था एम. आर. कृष्णमूर्थि **बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लि. एवं अन्य (05.03.2019- SC): MANU/SC/0321/2019** के आलोक में क्षतिपूर्ति की धनराशि की पंचवर्षीय सावधि जमा से वार्षिकी प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा।

तदनुसार वाद विन्दु संख्या- पांच निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी संख्या- 4 व 5 के विरुद्व संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से **₹9,81,344 (नौ लाख इक्क्यासी हजार)** प्रतिकर की धनराशि एवं उस पर **7.5%** दर से साधारण वार्षिक ब्याज याचिका योजित किये जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक के लिए स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या- 1, 2 व 3 के विरुद्व याचिका निरस्त की जाती है। वाहन के बीमाकर्ता विपक्षी संख्या- 6 **ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी** को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से 30 दिन के अन्दर प्रतिकर की समस्त धनराशि मय ब्याज न्यायाधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या- 3671000101192489 (IFSC: PUNB 0367100) में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करे। याचीगण संख्या- एक, दो, तीन एवं चार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि में से क्रमश: 50%, 5%, 10% एवं 35% भाग प्राप्त करेंगे, जिसमें से याचीगण संख्या- एक, दो व तीन को प्राप्त होने वाली राशि की 70% प्रत्येक की पांच वर्ष की वार्षिकी बनाई जायेगी एवं 30% राशि प्रत्येक के बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक मोड से स्थानान्तरित की जायेगी। याची संख्या- चार को प्राप्त होने की सम्पूर्ण राशि उसके बालिग होने तक के लिए सावधि जमा मे नियोजित की जायेगी।

दिनांकः26.07.2021

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांकः26.07.2021

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी